कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 250/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.06.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

● नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना जहानागंज पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अभियोग में नामजद अभियुक्त को मंदे बॉर्डर से किया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **24.06.2026** को थाना जहानागंज पर प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में **मु0अ0सं0 134/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **28.06.2026** को थाना जहानागंज पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर **मंदे बॉर्डर** से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **गुलशन कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र राम, निवासी ग्राम भागवत, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष** को समय **12:01 बजे** गिरफ्तार किया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 134/2026, धारा 87/137(2) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 विनय कुमार, का0 अमरेश पासवान, का0 मनोज कुमार, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

● ऑपरेशन वज्रपात के तहत चिन्हित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

● मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद

ऑपरेशन वज्रपात के तहत पुलिस कार्रवाई-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में जनपद में संचालित **ऑपरेशन वज्रपात** के क्रम में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चिन्हित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेहनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **11.05.2026** को थाना मेहनगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में **मु0अ0सं0 157/2026** धारा **109(1)/352/351(3) बीएनएस** थाना मेहनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक **27.06.2026** को थाना मेहनगर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर **ऑपरेशन वज्रपात** के तहत चिन्हित वांछित अभियुक्त **शिवम पुत्र बुझारत, निवासी ग्राम देवईत, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़** को **राजघाट**

पुलिया से समय **17:30 बजे** गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **एक अदद डण्डा** बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 **157/2026**, धारा **109(1)/352/351(3) बीएनएस**, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवम पुत्र बुझारत, निवासी ग्राम देवईत, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना मेहनगर पुलिस की टीम द्वारा की गई, जिसमें **उपनिरीक्षक तुषार त्रिपाठी** के नेतृत्व में **कांस्टेबल अजय राय, कांस्टेबल रामबाबू, कांस्टेबल हरेराम, महिला कांस्टेबल कोमल एवं कांस्टेबल अतुल शुक्ला** शामिल रहे। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए राजघाट पुलिया से अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद किया।

जनसंदेश-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, गैंग संस्कृति अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। **ऑपरेशन वज्रपात** के तहत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

● ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति फैलाने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई

● नकली शस्त्र के साथ रील बनाकर दहशत फैलाने का प्रयास, युवक को चिन्हित कर धारा 151 बीएनएसएस में किया गया चालान

ऑपरेशन वज्रपात के तहत पुलिस कार्रवाई-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं **क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती आस्था जायसवाल** के कुशल नेतृत्व में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा **ऑपरेशन वज्रपात** के अंतर्गत क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

घटना का विवरण-

अभियान के दौरान संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **इंस्टाग्राम** पर गैंग बनाकर वीडियो एवं रील पोस्ट कर क्षेत्र में भय एवं दहशत का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। थाना जहानागंज पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए सतत निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में **मुकेश सरोज पुत्र लल्लन सरोज, निवासी तुलसीपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 18 वर्ष** द्वारा नकली शस्त्र का प्रयोग कर वीडियो/रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रौब गांठने एवं आमजन में भय उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल उक्त युवक को चिन्हित कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत **धारा 151 बीएनएसएस** के अंतर्गत चालान किया गया।

काउंसलिंग एवं जनजागरूकता-

कार्यवाही के उपरांत युवक को उसके अभिभावकों की उपस्थिति में थाना परिसर पर काउंसलिंग की गई। इस दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने एवं सकारात्मक कार्यों में सहभागिता के लिए प्रेरित करें।

पुलिस टीम-

उक्त कार्रवाई थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें **उपनिरीक्षक लवकुश सोनकर, आरक्षी उपेन्द्र कुमार, आरक्षी लक्ष्मीनारायण एवं महिला आरक्षी आँचल चौरसिया** शामिल रहे।

जनसंदेश-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर हथियारों, गैंग संस्कृति अथवा भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले वीडियो/रील बनाने एवं प्रसारित करने से बचें। ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध **ऑपरेशन वज्रपात** के तहत कठोर एवं प्रभावी विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

● मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

● घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद, अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **06.06.2026** को थाना अतरौलिया पर प्राप्त तहरीर के आधार पर भैंस को नहलाने के दौरान पानी पड़ोसी की दीवार पर चले जाने की बात को लेकर हुए विवाद में गाली-गलौज, लाठी-डंडों से मारपीट, जान से मारने की धमकी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करने के संबंध में **मु0अ0सं0 214/2026** धारा **115(2)/352/351(3) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में **धारा 109(1) बीएनएस** की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **27.06.2026** को थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **श्रीकेश वर्मा पुत्र विक्रम बहादुर वर्मा, निवासी ग्राम चनैता, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 34 वर्ष** को **ग्राम चनैता मोड़** के पास से समय **17:30 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **एक अदद लोहे की रॉड** बरामद की गई। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त **एक अदद लोहे की रॉड।**

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 **214/2026**, धारा **115(2)/352/351(3), 109(1) बीएनएस**, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- **श्रीकेश वर्मा** पुत्र विक्रम बहादुर वर्मा, निवासी ग्राम चनैता, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 34 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उक्त गिरफ्तारी थाना अतरौलिया पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें **उपनिरीक्षक देवीशंकर पाण्डेय** एवं **आरक्षी अमित तिवारी** शामिल रहे। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

● साइबर ठगी के शिकार पीड़िता को ₹1,999.12 की धनराशि कराई गई वापस

● थाना सिधारी साइबर टीम एवं साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से पीड़िता को मिली राहत

घटना का विवरण-

आवेदिका द्वारा ऑनलाइन कपड़े का सैम्पल देखकर व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने के लिए एडवांस भुगतान किया गया था। इस दौरान साइबर ठग द्वारा धोखाधड़ी करते हुए कुल **₹3,300/-** की धनराशि प्राप्त कर ली गई। घटना के संबंध में पीड़िता द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी **साइबर शिकायत संख्या- 23104260063564** है।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी साइबर टीम द्वारा साइबर सेल, आजमगढ़ के तकनीकी सहयोग से त्वरित कार्रवाई की गई। प्रभावी समन्वय एवं आवश्यक विधिक प्रक्रिया के उपरांत पीड़िता के खाते में **₹1,999.12** की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

जन-जागरूकता संदेश-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर ऑनलाइन भुगतान न करें। फर्जी फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेश अथवा सोशल मीडिया लिंक पर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, सीवीवी या पासवर्ड किसी से साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन 1930**, **राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल** अथवा अपने निकटतम पुलिस स्टेशन के साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस टीम-

उक्त धनराशि वापस कराने की कार्रवाई थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा की गई, जिसमें **महिला उपनिरीक्षक स्मिता गुप्ता, आरक्षी महेश कुमार, आरक्षी पवन गुप्ता एवं आरक्षी सोनू कुमार** शामिल रहे। पुलिस टीम द्वारा त्वरित तकनीकी एवं विधिक कार्रवाई करते हुए पीड़िता को धनराशि वापस कराकर राहत प्रदान की गई।